

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प: अ.स.क. - पांमला खुद


प्रकरण सं.: - 94/2018

दिनांक:- 11.6.2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1396

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पांमला खुद व भू.अ.नि. पांमला खुद की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम निम्बली तहसील. सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-73 में खाता संख्या 102 में वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि पेमराम पुत्र विशनराम के स्थान पर पेमराम पुत्र वेणगराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/ 1397-99

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर प्रालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री पेमराम पुत्र वेणगराम निवासी निम्बली तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी